

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्र०प४(१६)ब/२००५ पार्ट

जयपुर दिनांक १८ JUL 2012

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बंध में पूर्व में वन विभाग में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। किंतु प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान के स्थान पर वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन पदस्थापित होने, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के कार्यभार में अप्रत्याशित वृद्धि होने तथा वन विभाग में दो नये कार्यालय सूचित होने तथा कुछ कार्यालयों के नाम परिवर्तन होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5 के तहत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आईडी सं० ८/एआर/आरटीआई(सैल)/०५/१२ दिनांक ०३.०७.२०१२ के अनुसरण में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नानुसार एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति के आदेश प्रचलित किये जाते हैं -

(APCEF(H))

२०१२/२

२०१२

क्र. सं.	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
१	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं अपील अधिकारी
२	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं अपील अधिकारी
३	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं अपील अधिकारी
४	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई) राजस्थान जयपुर	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं अपील अधिकारी

आज्ञा से

(१८/७/१२)

(वी०एस०सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
- निजी सचिव, वन मंत्री।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, वित्त भवन विधान सभा के पास राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग।
- निजी सहायक, शासन उप सचिव, वन विभाग।

P.T.O

10. सहायक शासन सचिव, वन विभाग ।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक एफ 3(1)/2005/सू.अ./प्रमु.व.सं/7971 दिनांक 27.04.2012 के संदर्भ में सूचनार्थीएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा उक्त आदेश को दो अतिरिक्त प्रति के प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित समस्त वन अधिकारियों को उक्त आदेश की प्रतियां वितरित करवाने का श्रम करें ।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर ।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री), राजस्थान जयपुर ।
14. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, अरावली भवन राजस्थान जयपुर ।
15. उप वन संरक्षक आरटीआई, वन भवन, कार्यालय प्रमु.व.सं., राजस्थान, जयपुर ।

*ऋग्वेदी*  
शासन उप सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर  
क्रमांक एफ 3 (1) 2005 / सू.अ./प्रमुवसं/ 13626-29

दिनांक 24-7-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) राजस्थान जयपुर ।
4. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अरावली भवन जयपुर को दी जाकर लेख है कि पृष्ठांकित आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

*झूँझी*  
मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर